(b) Review by Government on the working of the above Institute

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(Placed in Library for (a) to (c) See no, LT, 2486/99]

I. Notifications of Ministry of Environment and Forests

II. Report and Accounts (1997-98) of wildlife Institute of India, Dehradun and related papers.

III. Report and Accounts (1997-98) of various, Invironment Education centres and related papers,

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : श्रीमन मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :

(i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में तटीय विनियमन इलाकों में बालू के खनन के संबंध में अधिसूचना संख्या का0 आ0 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में संशोधन से संबंधित का0 आ0 334 (अ) तारीख 20 अप्रैल, 1998 ।

(ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में तटीय विनियमन इलाकों में बालू खनन के संबंध में अधिसूचना संख्या का0 आ0 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में संशोधन से संबंधित का0आ0 873(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1998 ।

(iii) उच्च ज्वार, रेखा के संबंध में अधिसूचना संख्या का0 आ0 114(अ), तारीख 10 फरवरी, 1991 में संशोधन के संबंध में का0 आ0 1122(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1998 ।

(iv) पंचमढ़ी क्षेत्र को परिस्थितिक रूप से संवेदनशील जो न पारित करने वाली प्रारूप अधिसूचना के संबंध में का0आ0 825(अ), दिनांक 17 सितम्बर, 1998 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (i) से (iv) के लिए देखिए संख्या एल0टी0 2489/99]

(v) राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 991(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(vi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 992(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(vii) आन्ध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 993 (अ) दिनांक 26 नवम्बर 1998 ।

(viii) तमिलनाडु तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 994(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(ix) गोवा, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 995(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(x) पांडिचेरी, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 996(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(xi) पश्चिमी बंगाल, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 997(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(xii) दमन और दीव द्वीपसमूह तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरणा का गठन के संबंध में का0आ0 998(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(xiii) गुजरात, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 999(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(xiv) कर्नाटक, बंगाल, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 1000(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(xv) केवल तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 1001(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(xvi) लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0 आ0 1002(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998।

(xvii) महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0 आ0 1003(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 1998 ।

(xviii) उडीसा तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 1004(अ), दिनांक, 26 नवम्बर, 1998 । [पुस्तकालय में रखी गई । (v) से (xviii) के लिए देखिए संख्या एल0टी0 2490/99]

(xix) केरल तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के संबंध में का0आ0 104(अ), दिनांक 12 फरवरी, 1998 । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल0टी0 2489/99]

(xx) पर्यावरण (संरक्षण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा0का0नि0 7, दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल0टी0 2492/99]

(xxi) 2-टी तेल (प्रदाय और संवितरण विनियमन) आदेश, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा0 का0 नि0 778(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1998 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल0टी0 2491/99]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(क) 1997-98 के वर्ष के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) उपर्युक्त संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुह विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । 1998 । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) से (ग) के लिए देखिए संख्या एल0टी0 2655/99]

III (क) 1997-98 के वर्ष के लिए सेंटर फार एनवायरमेंट एजूकेशन, नेहरू फाउण्डेशन फार डेवेलपमेंट, अहमदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) से (ग) के लिए देखिए संख्या एल0टी0 2656/99]

(ii) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए सी0पी0आर0 एनवायरनमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) उपर्युक्त सेंटर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई/देखिए संख्या एल0टी0 2657/99]

Notification of Ministry of Food and Consumer Affairs

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : श्रीमन मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अधीन, भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य पदों पर नियुक्तियां) (संशोधन) विनियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की अधिसूचना सा0का0नि0 757(अ) दिनांक 21 दिसंबर, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई/देखिए संख्या एल0टी0 2521/99]

REPORTS AND MINUTES OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

SHRI RAM NATH KOVIND (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Reports and Minutes of the Commit-tee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—

(i) Ninth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Action Taken by the Government on the recommendations